



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244890
CG-DL-E-03042023-244890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1484]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945

No. 1484]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1539(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 214(अ) तारीख 13 जनवरी, 2023, जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड (ii) तारीख 13 जनवरी, 2023 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में –

1. अनुच्छेद 1 में

ऊपर से चौथी और पांचवीं पंक्ति पर "NH166E के कि.मी. 0 से कि.मी. 73.2 (मुंबई गोवा हाईवे किरणविहार चिपलुन 415605)" के स्थान पर "राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 166 ई के गुहागर – चिपळूण – हेलवाक रस्ता कि.मी. 00 + 00 से 26 + 890 और 40 + 610 से 54 + 260 कि.मी." प्रतिस्थापित की जाएगी,

2. उक्त अनुसूची में "NH166E के कि.मी. 0 से कि.मी. 73.2 (मुंबई गोवा हाईवे किरणविहार चिपलुन 415605)" के स्थान पर "राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 166 ई के गुहागर – चिपळूण – हेलवाक रस्ता कि.मी. 00 + 00 से 26 +890 और 40 + 610 से 54 + 260 कि.मी." प्रतिस्थापित की जाएगी,

[फा. सं. 12037/63/2017-MAH-P-6/3A Corr.]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1539(E).— In exercise of powers conferred by sub – section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 [48 of 1956] the Central Government hereby make the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O. 214 (E) Dated the 13th January 2023, Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section-3, Sub section(ii), dated the 13th January 2023 namely:-

In the said Notification –

In the Paragraph 1

1. At 4th and 5th line from above "NH 166 E in the stretch of land from km 0 to km 73.2 (Mumbai Goa Highway Kiranvihar Chiplun 415605)" shall be replaced with "National Highway No.166 E, Guhagar – Chiplun – Helawak Road From Km. 00+00 to 26+890 and From 40+610 to 54+260 Km."
2. The Tittle of Schedule "NH 166 E in the stretch of land from km 0 to km 73.2 (Mumbai Goa Highway Kiranvihar Chiplun 415605)" shall be replaced with "National Highway No.166 E, Guhagar–Chiplun– Helawak Road From Km. 00+00 to 26+890 and From 40+610 to 54+260 Km."

[F. No. 12037/63/2017-MAH-P-6/3A Corr.]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.